संख्या-91/2016/1142/41-2016-31 यो0/12 टी0सी0

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 03 अगस्त, 2016

विषय- केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद-फैजाबाद के अयोध्या का पर्यटन परिपथ के रूप में विकास हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-484/6-1-1(373)/यो0/2016, दिनांक 29.06.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2013-14 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद-फैजाबाद के अयोध्या का पर्यटन परिपथ के रूप में विकास हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0 865.40 लाख (रूपये आठ करोड पैंसठ लाख चालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 131.32 लाख (रूपये एक करोड इकतीस लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 624/41-2014-31 यो0/12, दिनांक 04.03.2014 एवं शासनादेश सं0 1695/41-2014-31 यो0/12, दिनांक 05.08.2014 द्वारा द्वितीय किश्त रू0 200.00 लाख तथा रू0 480.69 लाख की प्रशासकीय एवं अवशेष धनराशि रू0 149.37 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-147/2015/2026/41-2015, दिनांक 20-02-2015 द्वारा प्रदान की गयी है। इस प्रकार उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रू0 480.69 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी की आख्या, जिलाधिकारी फैजाबाद की संस्तुति तथा महानिदेशक, पर्यटन के प्रस्ताव के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त भरत कुण्ड के सौन्दर्यीकरण/विकास कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 207.08 लाख में से अवशेष धनराशि रू0 106.36 लाख में से मिट्टी के खुदाई का कार्य कराये जाने के लिए रू0 48.98 लाख की धनराशि व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं-

1. भारत सरकार ने स्वीकृति पत्र सं0-5 पीएनसी (21)/2012, दिनांक 29-03-2013 के द्वारा उक्त योजना अनुमोदित की है। उक्त स्वीकृत पत्र में उल्लिखित भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यमदों पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

http://shasnadesh.up.nic.in

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्ज देय नही होगा।
4. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
5. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
6. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।
7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था रहे।
8. योजना का अनुश्रवण शासन स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-91/2016/1142(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, फैजाबाद।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
7- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, फैजाबाद।
8- आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
9- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

http://shasanadesh.up.nic.in

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in